



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

भा.रि.बैं/2024-25/131

विसविवि.केंका.पीएसडी.बीसी.सं.12/04.09.001/2024-25

24 मार्च 2025

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) / प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक]

महोदया/महोदय,

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 07 अप्रैल 2016 के परिपत्र भारिबैं/2015-16/ 366/ विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.23/04.09.01/2015-16 के अनुलग्नक के पैरा (v) का संदर्भ लें।

2. उपरोक्त पैरा में तालिका के क्रम संख्या 2 पर मद को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है:

क्र. सं.	पीएसएलसी का प्रकार	प्रतिनिधित्व	की गणना के लिए
2.	पीएसएलसी-एसएफ/ एमएफ	छोटे/ सीमांत किसानों को सभी पात्र ऋण	एसएफ/एमएफ उप-लक्ष्य, कमजोर वर्ग उप-लक्ष्य, एनसीएफ उप-लक्ष्य, कृषि लक्ष्य और समग्र पीएसएल लक्ष्य की प्राप्ति

3. परिपत्र की अन्य विषय-वस्तु यथावत रहेगी।

भवदीया,

(निशा नम्बियार)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय बिल्डिंग, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400 001

टेलीफोन: Tel No.: +912222601000/ फैक्स: +91-22-22621011/22610948/22610943 ईमेल: cgmincfd@rbi.org.in

Financial Inclusion and Development Department, Central Office, 10th Flr, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai 400001

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाएं

चेतावनी: रिज़र्व बैंक द्वारा -डक, सेल एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.